न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –03/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024/5

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. रामनारायण पुत्र चुनाराम 2. कमली पत्नि रामनारायण 3. रामलाल पुत्र रामनारायण 4. रामकुंवार पुत्र रामनारायण जाति–जाट,निवासी–दियावडी, तहसील–मूण्डवा,जिला–नागौर,		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मूण्डवा, राज0

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्रवण बिडीयासर।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

निर्णय **दिनांक :– 06.05.2023**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार ,मूण्डवा द्वारा प्रकरण संख्या 195/2023 सरकार बनाम रामनारायण वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2023 से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.01.2024 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई।

1–विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का,सेनणी ने तहसीलदार मूण्डवा के समक्ष अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलांटस को दिनांक 02.08.2023 को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का नोटिस तहसीलदार मूण्डवा द्वारा जारी किया गया, जिस पर अपीलांटस को दिनांक 23.08.2023 को मातहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए तामिल जारी की गई। अपीलांट दिनांक 23.08.2023 को मातहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए व कथित खसरा नम्बर 43 गैर मुमकिन गोचर वाके मौजा दियावडी की 1.50 हैक्टेयर भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण अपीलांटस द्वारा नही होना बताया। तब वस्तुस्थिति जानने हेतु हल्का पटवारी को लिखा जाकर पत्रावली आगामी तारीख दिनांक 11.09.2023 को पेश होने की आदेशिका जारी की गई। जिसके पटवारी हल्का सेनणी ने मौके की वस्तुस्थिति व जांच रिपोर्ट दिनांक 18.09.2023 को तैयार करके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.09.2023 को प्रस्तुत कर दी। इसके पश्चात दिनांक 20.12.2023 को गैर सायल की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत जाकर अलौच्य निर्णय पारित किया हैं जो निर्णय विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत व दस्तावेजो व मौके की स्थिति के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम बार दिनांक 23.08.2023 को पेश हुआ तथा अपना जवाब भी पेश किया जिस पर वस्तुस्थिति तथा मौके की जांच के लिए संबंधित पटवार हल्का को निर्देशित किया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट व मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई, उक्त जांच रिपोर्ट /मौके की वस्तुस्थिति में संबंधित पटवार हल्का ने अपनी जांच में स्पष्ट रूप से यह कथन किये है कि खसरा नम्बर 43 गैर मुमकिन अंगोर पर अपीलांटस का वर्तमान में कोई कब्जा नही हैं। उक्त जांच रिपोर्ट की अधीनस्थ न्यायालय

कलक्टर नागौर

ने आलौच्य निर्णय पारित करने के दौरान किसी प्रकार का इन्द्राज नहीं किया, न ही अपने आलौच्य निर्णय में जांच रिपोर्ट के किसी भी बिन्दू को विवेचित किया। जिससे प्रथम दृष्टया देखने से ही यह पता चलता है कि अपीलांटस का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही हैं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेर अपील पारित करते समय विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की हैं,।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस की खातेदारी भूमि जो कथित अंगोर भूमि के पास ही चिपती आई हुई हैं, के संबंध में नाप चौप मुन्तकिल पाइंट से करवाकर किसी तरह की कोई निश्चायक स्थिति प्राप्त करने का भी प्रयास नहीं किया, जबकि अपीलांट ने साफ तौर पर अधीनस्थ न्यायालय को यह अवगत करवा दिया था कि उसका अपनी खातेदारी भूमि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सरकारी अथवा प्रतिबंधित भूमि पर कब्जा अतिक्रमण आदि किसी भी प्रकार का नहीं हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे अपीलांटस की भूमि व विवादित अंगोर की भूमि का नाप चौप मुन्तकिल पाइंट से विशेषज्ञ राजस्व कर्मियो व सेटलमेन्ट अधिकारियो की मौजूदगी में करवाते, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर किसी तरह का गौर किये बगैर ही सरसरी तौर पर जल्दबाजी में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलांटस से राजनैतिक द्वेषता व रंजिश रखने वाले बड़े लोगो के इशारे पर यह कार्यवाही हाजा अमल में लाकर कागजी रूप से बिना किसी प्रक्रिया का पालन किये निर्णय जेर अपील पारित कर दिया, जो अपास्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को दिये गये नोटिस में यह अंकन किया गया हैं कि खसरा नम्बर 43 गैर मुमकिन अंगोर पर अतिक्रमण किया गया हैं, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा बनाते समय पटवारी रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर उक्त बाबत एक नक्शा भी बनाया गया था, उस नक्शे में कही भी खसरा नम्बर 43 गैर मुमकिन अंगोर का उल्लेख नही हैं, नाप का उल्लेख नही किया गया है एवं न ही किस दिशा में, कितने नाप पर, किस आसे–पासे पडोसो के बीच अतिक्रमण किया हैं, इस बाबत मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का अंकन नही किया गया हैं, इसके अलावा अपीलांटस को पत्थर की कच्ची व पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण करना अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही हाजा में अंकित किया हैं, किन्तु पटवारी हल्का द्वारा जो वस्तुस्थिति रिपोर्ट अपीलांट के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति होने के बाद पेश की गई, उसका लेसमात्र भी उल्लेख नही है। जिससे यह स्पष्ट है कि पूर्व की मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व कथित पूर्व की अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नही हैं, मातहत न्यायालय ने इस विधिक बिन्दू को नजर अंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की हैं, जिससे निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन रहा हैं कि जो निर्माण किया गया हैं वह हमारे खातेदारी के खेत में हमारे बढ़ेरों के समय किया हुआ हैं एवं हमारी खातेदारी भूमि मानते हुवे ही हमारों पूर्वजों ने मकान एवं दीवारे बनायी हैं। अब इनको ताजा अतिकमण मानकर पटवारी ने जो रिपोर्ट पेश की हैं ,जो रिपोर्ट सरासर गलत एवं फर्जी हैं।

अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मूण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या 195/2023 बअनवान सरकार बनाम रामनारायण वगैराह में आदेश दिनांक 20.12.2023 पारित किया गया, को खारिज फरमाया जावें।

2– रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजपेरोकार का कथन हैं कि अपीलांटान द्वारा ग्राम दियावड़ी के खसरा नम्बर 43 किस्म भूमि गै0मु0 अंगोर पर अनाधिकृत रूप से दीवार निर्माण कर कब्जा करने पर पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। प्रकरण में गैर सायलान को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुवे। पूर्ण जॉच करने पर गै0मु0 अंगोर जो धारा 16 में वर्जित भूमि हैं पर गैर सायलान का अतिकमण पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.12.2023 से उन्हे धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत अतिकमी घोषित कर आर्थिक दण्ड एवं बेदखली का आदेश पारित किया गया,जो आदेश विधिपूर्वक पारित किया गया हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

कलक्टर नागौर

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का,सेनणी द्वारा तहसीलदार,मूण्डवा को दिनांक 28.05.2023 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की हैं कि रामनारायण पुत्र चुनाराम,रामलाल,रामकुंवार पिता रामनारायण,कमली पत्नी रामनारायण,जाति–जाट,निवासी दियावड़ी ने ग्राम दियावड़ी के खसरा नम्बर 43 रकबा 1.50 हैं किस्म जमीन गै.मु. अंगोर पर सम्वत् 2080 में कच्ची व पक्की दिवार बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर रखा हैं। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार,मूण्डवा द्वारा प्रकरण संख्या 195/2023 दिनांक 02.08.2023 गैर सायलान के विरूद्व दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.08.2023 रखी गयी। दिनांक 23.08.2023 को अप्रार्थी पक्ष की ओर से गैर सायल रामनारायण ने उपस्थित होकर जबाब पेश कर यह निवेदन किया कि प्रश्नगत खसरे पर मुझ प्रार्थी व मेरे परिवार द्वारा कोई अतिक्रमण किया हुआ नहीं हैं। इसलिए उनके विरूद्व की गई कार्यवाही खारित की जावें। गैर सायल द्वारा पेश किये गये इस प्रकार के प्रार्थना–पत्र के संदर्भ में प्रकरण में वस्तुस्थिति जानने हेतु हल्का पटवारी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2023 को आदेशित किया गया हैं। प्रकरण में पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट आदेशिका दिनांक 10.10.2023 से शामिल पत्रावली की गई हैं तथा प्रकरण में दिनांक 20.12.2023 को निर्णय पारित किया गया हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर सायलान के विरूद्व कार्यवाही करते समय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर गैर सायल रामनारायण ने उपस्थित होकर यह लिखित में आवेदन–पत्र पेश किया कि उनका इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं हैं। इस आवेदन–पत्र पर पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट प्राप्त करने पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.09.2023 में यह प्रकट किया हैं कि खसरा नम्बर 43 पर 1.50 है0 भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ हैं। इस प्रकार पटवारी, हल्का द्वारा पूर्व में तहसीलदार,मूण्डवा को पेश की गई टी.पी. रिपोर्ट एवं बाद में पुनः बनायी गयी रिपोर्ट दिनांक 18.09.2023 के अनुसार खसरा नम्बर 43 जिसकी किस्म भूमि गै0मु0 अंगोर हैं के क्षेत्रफल 1.50 हैक्टयर पर बिना किसी अधिकार के अनाधिकृत अतिक्रमण पाये जाने पर तहसीलदार, मूण्डवा द्वारा गैर सायल के विरूद्व की गई यह कार्यवाही विधिवत् हैं। गैर सायल ने खसरा नम्बर 43 रकबा 1.50 है0 पर उनके अधिकार स्वरूप कब्जा होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। जहॉ तक विद्वान वकील अपीलांट का यह तर्क की पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई टी.पी. रिपोर्ट में नाप चौप नहीं दर्शाया हैं। पत्रावली के अवलोकन से पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट के पीछे भाग पर अतिक्रमीत भूमि को लाल स्याही के पैन से टी.पी. दर्शाया गया हैं तथा खसरा नम्बर 43 दर्शाया गया हैं। अपनी रिपोर्ट में इस भूमि की किस्म गै0मु0 अंगोर दर्ज की हैं। पटवारी रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमित भूमि गै0मु0 अंगोर भूमि होने से यह सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि हैं तथा इस प्रकार की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए तहसीलदार,मूण्डवा द्वारा इस प्रकार की भूमि पर किये गये अतिक्रमियों के विरूद्व की गई कार्यवाही वैधानिक कार्यवाही होने से तहसीलदार,मूण्डवा के हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2023 में किसी प्रकार का हस्तेक्षप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस फहरिस्त मय मौका रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 पेश की हैं। यह प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.12.2023 के बाद की होने से इस अपील की पत्रावली में इस मौका रिपोर्ट को पढ़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। इसलिए पेश किया गया यह दस्तावेज पत्रावली के पार्ट डी में बिना पढ़े ही समझा जाकर रखा रहेगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मूण्डवा द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2023 यथावत् रखा जाता हैं। निर्णय सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर, नागौर

कलक्टर नागौर